



(29)

न्यायालय— माननीय राजस्व मण्डल, ग्रालियर, म0प्र0  
प्रकरण क्रमांक / 18आवेदन पत्र

विधिवा-4641/2018/टीकमगढ़/३३५८

गौरीशंकर खंगार पुत्र स्व0श्री श्यामलाल  
खंगार, व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी,  
जमडार तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

— आवेदक

वनाम्

1—

प्रभूदयाल खंगार पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल  
खंगार व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी  
जमडार तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

2—

रघुनाथ सिंह पुत्र श्री तेज सिंह  
व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी,  
जमडार तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

3—

श्रीमती पुष्पा पुत्र श्री मुन्नालाल जैन,  
निवासी—मुकेश लॉज के पास, तहसील व  
जिला जिला टीकमगढ़ म0प्र0

4—

श्रीमती रितू पुत्र श्री मनोज जैन,,  
निवासी—मुकेश लॉज के पास, तहसील व  
जिला जिला टीकमगढ़ म0प्र0

5—

श्रीमती निशा रावत पुत्र श्री प्रदीप  
रावत,, निवासी—मुकेश लॉज के पास, तहसील व  
जिला जिला टीकमगढ़ म0प्र0

6—

गुलाब खंगार पुत्र स्व0श्री श्यामलाल खंगार,  
निवासी—ग्राम शिवपुरी जमडार तहसील व  
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 उपधारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता  
माननीय न्यायालय,  
आवेदक की ओर से आवेदन सादर प्रस्तुत है:-

1— *M* यहकि, आवेदक द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत  
किया गया था, जो R-1474-I/16 पर दर्ज हुआ, जिसका उनमान गौरीशंकर  
खंगार वनाम प्रभूदयाल खंगार आदि था, जिसमें तारीख पंशी दिनांक 05-07-18  
नियत थी।

2— यहकि, उक्त दिनांक को आवेदक के अभिभाषक जिला एवं सत्र न्यायालय में  
अन्य प्रकरणों में व्यरथ होने के कारण प्रकरण की सुनवाई के समय माननीय  
न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके कारण आवेदक का  
प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

28/8/18-

2  
प्रकृति ये हैं | आगे का बाहिर का  
सी स्तर के अवस्था) के अनुगमने  
को सुना रखा | ऐस्ट्रोरेशन-

Nadi 20/9/18

आगे यही कार किया गया।  
जाना है | नियानी पुनः नम्बर पर  
ली जाती है।

B  
✓ 28/8/18